

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 07 / 2023
रजिस्ट्रेशन नं. : 2023 / 7

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा (राज) बनाम

अभियुक्त :-

श्री मदन सिंह पुत्र श्री बगत सिंह थोब
निवासी धोरावाला वास धोब, जोधपुर
342303, (विक्रेता / मालिक) मैसर्स जय श्री
जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड,
कुशलगढ, बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 04-09-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री शशि कान्त शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 17-01-2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 20-10-2022 को 3.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स जय श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, कुशलगढ, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री मदन सिंह पुत्र श्री बगत सिंह थोब उपस्थित थे। विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स जय श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, कुशलगढ का निरीक्षण करने पर परिसर में खाद्य पदार्थ मिल्क केक स्टील के ट्रे में 4 किलोग्राम रखा पाया। जिसमें मिलावट का संदेह होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए खाद्य पदार्थ मिल्क केक 2 किग्रा वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 800/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मिल्क केक 2 किग्रा को 4 साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक के जारो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर एवं प्रत्येक प्लास्टिक के जारो में प्रीजरवेटीव फार्मलिन की 40-40 बुन्दे डालकर, चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-1233 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के




न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/379 दिनांक 17-11-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 889 दिनांक 03-11-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खाद्य पदार्थ मिल्क केक** का नमूना कोड क्रमांक **W-1233** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **खाद्य पदार्थ मिल्क केक** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 20-01-2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया। किन्तु आरोपी अनुपस्थित रहा। आरोपी के विरुद्ध दिनांक 11-12-2023 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 04-09-2024 को विभागीय पैरोकार ने उपस्थित हाकर एक पक्षीय बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 20-10-2022 को 3.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु मैसर्स जय श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, कुशलगढ, बांसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री मदन सिंह पुत्र श्री बगत सिंह थोब उपस्थित थे। विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स जय श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, कुशलगढ का निरीक्षण करने पर परिसर में खाद्य पदार्थ मिल्क केक स्टील के ट्रे में 4 किलोग्राम रखा पाया। जिसमे मिलावट का संदेह होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए खाद्य पदार्थ मिल्क केक 2 किग्रा वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 800/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा खाद्य



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
20/09/2024

पदार्थ मिल्क केक 2 किग्रा को 4 साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक के जारो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर एवं प्रत्येक प्लास्टिक के जारो में प्रीजरवेटीव फार्मलिन की 40-40 बुन्दे डालकर, चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी. ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1233** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/379 दिनांक 17-11-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 889 दिनांक 03-11-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिल्क केक का नमूना कोड क्रमांक **W-1233** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ मिल्क केक का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया। वर्तमान में उक्त खाद्य कारोबारी अपनी दुकान बंद कर अन्यत्र जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/379 दिनांक 17-11-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 889 दिनांक 03-11-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिल्क केक का नमूना कोड क्रमांक **W-1233** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety


न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बॉसवाडा (राज.)

and standards act 2006 गया है। प्रकरण में अभियुक्त बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है। पत्रावली में वक्त सुनवाई विभागीय पैरोकार द्वारा तत्सम्बन्धि आवश्यक साक्ष्य/ दस्तावेज पेश किये है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया खाद्य पदार्थ **मिल्क केक** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री मदन सिंह पुत्र श्री बगत सिंह थोब निवासी धोरावाला वास धोब, जोधपुर 342303, (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स जय श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, कुशलगढ, बांसवाडा को रूपये 2,000/- (अक्षरे रू दो हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 04-09-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।




न्याय निकाय अधिकारी
(स्वयं निर्णय अधिकारी)
(आरटी जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)